तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की ताम
	9.4.25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप/अनु उभयपक्षकारान अधिवक्तागण प्रा०पत्र पेश की गई। प्रार्थना पत्र O.23 R.1 CPC वापसी का कर स्वीकार किया जाता है, विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखाया जाकर प्रा० पत्र० निस्ता रित। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 30/2002 तारीख दायरा 18.07.2002

उनवान

मुतक सत्यनारायण पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा जरिये कायम मुकाम –

1. भवंर सिंह पुत्र सत्यनारायण जाति राजपूत निवासी राजगढ तहसील सांगोद।
2. गोपाल सिंह पुत्र सत्यनारायण जाति राजपूत निवासी राजगढ तहसील सांगोद।
3. सज्जनकवं बेवा सत्यनारायण जाति राजपूत निवासी राजगढ तहसील सांगोद।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. धनराज सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ।
2. भंवरी पुत्री कल्याण सिंह पत्नि जसवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ हाल निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा कोटा।
3. भूली पुत्री कल्याण सिंह पत्नि राधेश्याम जाति राजपूत निवासी राजगढ हाल नन्दसिंह जी टेलरनरोरा रोड कल्याण मील पुलिस चौकी के सामने धोबी की चाली अहमदाबाद।
4. मंजू पुत्री कल्याण सिंह पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ हाल निवासी श्योपुर बडोदा तहसील मध्यप्रदेश।
5. छोटी बाई बेवा कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ।
6. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साँगोद तहसील सांगोद।

– अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :– दिनांक :–

Scanned with OKEN Scanner

श्री बाबूलाल अरविंद (वकील प्रार्थीगण)

श्री बृजबिहारी शर्मा (अप्रार्थीगण)

---निर्णय---

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम सलोनिया पटवार हलका राजगढ तहसील सांगोद में ख.न. मि 96 बोहराजीवाला की 12 बीघा 15 बिस्वा, बारानी 1 नहरी की आराजी, स्थित है जो कि प्रार्थी के पिता स्व कल्याणसिंह को दिनांक 15.11.1976 को सिलींग एलोटमेन्ट हुई थी तब से ही उक्त आराजी प्रार्थी के पिता स्व कल्याण सिंह जी के खाते एवं कब्जे में चली आ रही है। प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में एक वसीयत नामा दिनांक 27.07.1998 को रूबरू गवाहान निस्पादित कर पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित करवाया था जिसके मुताबिक उक्त आराजी ख.न. मि 96 की 12 बीघा 15 बिस्वा में से 2/3 हिस्से की वसीयत अप्रार्थी सं.1 के हक में तथा 1/3 हिस्से की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में निस्पादित की थी। अप्रार्थी सं.1 द्वारा स्व. कल्याण सिंह जी द्वारा निस्पादित वसीयतनामे को छिपाते हुए प्रार्थी की लाइल्मी में इन्तकाल सं. 9 दिनांक 3.10.2001 ग्राम सलोनिया तस्दीक कराकर स्वयं अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी 2 ता 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करा दिये हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण ग्राम सलोनिया पटवार हलका राजगढ तहसील सांगोद में ख.न. मि 96 बोहराजीवाला की 12 बीघा 15 बिस्वा को अथवा उसके किसी हिस्से को अप्रार्थीगण 1 ता 5 रहन, बैय, खुर्दबुर्द नहीं करें। ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकरों, एजेन्टों से करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी न0 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता बृजबिहारी शर्मा द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं–

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 का सगा भाई नहीं है और अप्रार्थी सं.1 के पिता स्व कल्याण सिंह ने जमीन की कोई वसीयत नहीं करवाई है। प्रार्थी अप्रार्थी सं.5 के साथ आया था, स्वं कल्याणसिंह के नुत्फे से पैदा नहीं हुआ है इसलिए कल्याण सिंह की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे की फोटोप्रति में भी ग्राम राजगढ की ख.न. 96 की 13 बीघा आराजी की वसीयत करवाना प्रमाणित होता है जबकि कल्याण सिंह के खाते में ग्राम सलोनिया की ख.न. 96 की 12 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित थी। इस प्रकार प्रस्तुत वसीयत की फोटो प्रति प्रथम दृष्टया फर्जी प्रमाणित एवं सन्देहास्प्रद प्रतीत होती है जिसके आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार की सहायत प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा व्यक्त किया गया कि वर्तमान में ग्राम सलोनिया पटवार हलका राजगढ में कोई गांव नहीं है, पूर्व में था जो बहुत वर्षों पूर्व वीरान हो चुका है। प्रार्थी के पिता अनपढ थे उनको आराजी किस माल की है, की जानकारी नहीं होने से तथा सलोनिया वीरान होने से ग्राम राजगढ दर्ज करवा दिया था। आज भी ग्राम राजगढ के व्यक्ति ग्राम सलोनिया के माल को नहीं जानते बल्कि ग्राम राजगढ के नाम से जाना जाता है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया था तथा प्रार्थी को स्व कल्याण सिंह का विधिक वारिस नहीं होने के कारण उनकी कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना व्यक्त करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे की फोटो प्रति को फर्जी बताया गया है।

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा

Scanned with OKEN Scanner

सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रार्थी का संपूर्ण दावा ही वसीयत दिनांक 27.07.1998 पर आधारित है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं कर वसीयत की फोटा प्रति प्रस्तुत की गई है जो कि न्यायालय में पठनीय योग्य नहीं है। साथ ही प्रार्थी मृतक कल्याण सिंह का विधिक वारिस है अथवा नहीं इसका निर्णय दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों द्वारा स्वयं का कब्जा होना व्यक्त किया गया है। इस कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी में से 1/3 हिस्सा का नामान्तरण प्रार्थी वसीयतनामे के आधार पर अपने पक्ष में खुलवाना चाहता हैं। हस्तगत प्रकरण में मृतक कल्याण सिंह के विधिक वारिसान का निर्धारण प्रकरण में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है। प्रकरण में दिनाक 03.10.2001 को अप्रार्थीगण के पक्ष में इन्काल खोला जा चुका है। 23 वर्ष गुजरने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में स्वयं के नाम होने के उपरान्त भी मौके

Scanned with OKEN Scanner

के फायदा उठाकर आराजी को हस्तांतरित नहीं किया गया है। जिससे प्रार्थीगण की ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में काफी समय से प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से चाराजोई नहीं की गई है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रकरण में वांछित अनुतोष की महती आवश्यकता नहीं है। मृतक सत्यनारायण मृतक कल्याण सिंह का विधिक वारिस है अथवा नहीं, विवादित आराजी के संबंध में निस्पादित वसीयत दिनांक 27.07.1998 सही है अथवा फर्जी, विवादित आराजी पर वर्तमान के प्रार्थीगण का कब्जा है अथवा अप्रार्थीगण का, उक्त तथ्यों का निर्णय दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है। इस स्तर पर केवल प्रकरण में निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक शर्तों की पूर्ति अथवा अभाव की विवेचना किया जाना है। विवादित आराजी की अन्यत्र हस्तान्तरण हो जाने की संभावना प्रबल प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

09/4/25

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner